



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टा.एम सरणी (ब्रबान राड), कोलकाता- 700 001

वेबसाइट: www.teaboard.gov.org

फोन नं. 033-22351331

ई-मेल: teaboardfin@gmail.com

फैक्स नं. 033-2221-5724

संदर्भ सं. फिन/पे/आईटी/2022-23

23, जून, 2022

परिपत्र

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 निधारण वर्ष 2023-24 स सबाधत आयकर/टाडाएस का आतम रूप दन क लिए फाम 12बीबी आर बचत/कटाता क दस्तावजा प्रमाण प्रस्तुत करना।

- 1) आयकर अधिनियम 1961 को धारा 192 के प्रावधान के अनुसार, भुगतान के समय वेतन मद के तहत किसी भी आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान करना होगा। जिस वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाता है, उस वित्तीय वर्ष के लिए लागू दरों के आधार पर गणना की गई आयकर की औसत दर पर देय राशि पर आयकर की कटौती, अनुमत अनुमति के बाद "वेतन" शीर्ष के तहत निधोरिती के लिए अनुमानित आय पर कटौती।
- 2) वेतन से आयकर की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए आयकर कटौती को फॉर्म 12 बीबी (कटौती/छूट का दावा करने के लिए अर्निवाये) में घोषणा के साथ समय पर जमा करना आवश्यक है।
- 3) वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा सम्मिलित धारा 115BAC के अनुसार किसी भी कटौती / छूट का दावा किए बिना गणना की गई कुल आय पर नई स्लैब दरों (वैकल्पिक / रियायती दर शासन) के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए विकल्प दिया गया है। नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2022-23 (ए यू 2023-24) के लिए कर की गणना के उद्देश्य के लिए वैकल्पिक नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी दरों के अनुसार कर दरों को सारांशित करती है:-

आय कर स्लैब	मौजूदा कर दरें	नई/रियायती कर दरें(%) वैकल्पिक
0-2,50,000	शून्य	शून्य
2,50,000-5,00,00	5	5
5,00,000-7,50,000	20	10
7,50,001-10,00,000	20	10
10,00,001-12,50,000	30	20
12,50,001-15,00,000	30	25
15,00,001 above	30	30

नोट :-

- (i) अध्याय VI-A (धारा 80 सीसीडी (2) के तहत कटौती को छोड़कर, धारा 10 (13 ए) हाउस रेंट अलाउंस और सेक्शन 24 (उधार ली गई पूंजी/घर की संपत्ति से आय पर ब्याज) आदि के तहत सभी कटौती को अनुमति है। नई कर व्यवस्था में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) अर्धनियम की धारा 115बीएसी के तहत कर की रियायती दरों का विकल्प चुनने का इच्छुक कर्मचारी, कटौतीकतों को पिछले वर्ष के लिए इस तरह के इरादे के बारे में सूचित कर सकता है और इस तरह के अंतरंग कटौतीकतों पर, उसका नियोक्ता होने के नाते, पिछले वर्ष के लिए इस तरह के इरादे के बारे में सूचित कर सकता है। इस तरह के इरादे से कटौतीकतों अपनी कुल आय की गणना करेगा और धारा 115BAC के प्रावधान के अनुसार उस पर टीडीएस लगाएगा। यदि कर्मचारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो नियोक्ता अर्धनियम की धारा 115 बीएसी के प्रावधानों पर विचार किए बिना टीडीएस कर देगा। कटौती के लिए इस प्रकार की गई सूचना केवल वर्ष के दौरान टीडीएस के उद्देश्य के लिए होगी और उस वर्ष के दौरान संशोधित नहीं की जा सकती। हालांकि, सूचना अर्धनियम की धारा 115BAC की उप धारा (5) के संदर्भ में विकल्प का प्रयोग करने की राशि नहीं होगी और व्यक्ति को धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न के साथ करना होगा। अर्धनियम ऐसे कर्मचारी द्वारा उस पिछले वर्ष के लिए नियोक्ता को दी गई सूचना से भिन्न हो सकता है।
- (iii) इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बचत/कटौती के दस्तावेजी प्रमाण के साथ विधिवत भरे हुए फॉर्म 12 बीबी के साथ उपरोक्त विकल्प को 5 जुलाई, 2022 तक सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से tbfinnds@gmail.com पर जमा करना सुनिश्चित करना है एवं किसी अन्य मेल आईडी पर भेजे गए मेल पर आयकर के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) उपरोक्त दस्तावेजों को जमा न करने या देर से जमा करने के मामले में, वेतन पर टीडीएस को पुरानी कर दरों के आधार पर और साथ ही इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर वेतन से कर की कटौती के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपने नियंत्रण में कार्यरत सभी कर्मचारियों के संज्ञान में लाने के लिए कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें। सभी संबंधित कृपया ध्यान दें कि एक बार स्रोत पर आयकर काट लिया जाता है और आयकर विभाग के नामित बैंक में जमा कर दिया जाता है, बाद में हमारी ओर से कोई वापसी नहीं की जाएगी।

यह वि.स एवं मु.ले.अ, टी बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया गया है।

12 बीबी फॉर्म को एम्प्लॉई कॉनर> बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.teaboard.gov.in/> के डाउनलोड फॉर्म पेज से डाउनलोड किया जा सकता है।

(सीमा तिवारी)
लेखा अधिकारी (वेतन)

संगलन: यथा कांथित

सेवा में,

लेखा अधिकारी (वेतन),

टी बोर्ड

कोलकाता

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वेतन पर टीडीएस की गणना के लिए आयकर अधिनियम के तहत पुरानी कर व्यवस्था/नई कर व्यवस्था को चुनने के लिए धारा 115BAC के तहत घोषणा।

मैं.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वेतन पर टीडीएस की गणना के लिए आयकर अधिनियम के तहत..... (पुरानी कर व्यवस्था / नई कर व्यवस्था) का विकल्प चुनना चाहता हूँ। मुझे यह भी पता है कि अगर मैं नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता हूँ तो मुझे आयकर अधिनियम के तहत सभी कटौती को छोड़ना होगा और वित्त अधिनियम 2020 द्वारा अधिसूचित नई स्लैब दरों के अनुसार करों का भुगतान करना होगा। जबकि अगर मैं पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता हूँ तो मुझे आयकर अधिनियम के तहत सभी कटौती का लाभ मिलेगा और वित्त अधिनियम 2020 द्वारा अधिसूचित पुरानी स्लैब दरों के अनुसार करों का भुगतान किया जाएगा।

अगर, मैं पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता हूँ तो मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निवेश घोषणा (फॉर्म-12बीबी) जमा करूंगा।

कृपया इस घोषणा पर विचार करें और तदनुसार टीडीएस की गणना और कटौती करें।

सादर,

हस्ताक्षर

नाम:_____

कर्मचारी काड:_____

फॉर्म सं.12BB
(नियम 26C देखें)

1. कर्मचारी का नाम व पता			
2. स्थायी लेखा संख्या व कर्मचारी का क्रमचारी कोड: (अनिवार्य)			
3. वित्तीय वर्ष:			
4. मोबाईल नं.(अनिवार्य):			
5. ई-मेल(अनिवार्य):			
दावों और उसके साक्ष्य का विवरण			
क्र सं	दाव का प्रकृत	राशि (₹.)	साक्ष्य / विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मकान इकराया भुगतान: (i) मकान मालिक का इकराए का भुगतान (ii) मकान मालिक का नाम (iii) मकान मालिक का पता (iv) मकान मालिक का स्थायी लेखा संख्या नोट: यदि पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख से अधिक है, तो स्थायी लेखा संख्या प्रस्तुत की जाएगी।		
2	यात्रा खर्चा या सहायक		
3	उधार लेने पर ब्याज की कटौती: (i) देय ब्याज / ऋणदाता को भुगतान किया गया (ii) ऋणदाता का नाम (iii) ऋणदाता का पता (iv) ऋणदाता का स्थायी लेखा संख्या (a) वित्तीय संस्थान(यदि उपलब्ध हो) (b) अन्यायता (यदि उपलब्ध हो) (c) अन्य		
4	अध्याय VI-A के तहत कटौती (A) धारा 80C, 80CCC एवं 80CCD (i) धारा 80C (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (ii) धारा 80CCC (iii) धारा 80CCD (B) अन्य धारा (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) अन्य अध्याय VI-A. (i) धारा (ii) धारा		

	(iii)धारा..... (iv)धारा..... (v)धारा.....		
सत्यापन			
मैं,, पुत्र/पुत्री एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।			
स्थान..... दिनांक..... पदनाम.....		(कर्मचारी के हस्ताक्षर) पूरा नाम	